धारा-17. सहकारी समिति के कौन सदस्य हो सकते हैं- (1) निम्नलिखित के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य न होगा, अर्थात-

(क) धारा 18 की उपधारा (4) धारा 80 तथा धारा 81 की उपधारा (2) में की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति जो अपने पर प्रवृत्ति विधि के अनुसार वयस्क हो तथा जो स्वस्थ चित्त का हो और अपने पर प्रघृत विधि के अनुसार संविधा करने के लिए अनर्हित न हो,

(ख) कोई अन्य सहकारी समिति,

(ग) राज्य सरकार,

(घ) केन्द्रीय सरकार,

(ड़) वेयर हाउसिंग कारपोरेशन एक्ट 1962(एक्ट संख्या 58, 1963) के अधीन स्थापित या स्थापित किया गया समझा जाने वाला राज्य गोदाम निगम (वेयर हाउसिंग कारपोरेशन),

1[(ड़ड) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म,

(च) कोई निगमित निकाय, जो किसी अन्य खण्ड के अन्तर्गत न आता हो अथवा निबन्धक ने सामान्य रूप से सहकारी समितियों की या किसी विशेष समिति अथवा समितियों के वर्ग की नाम-मात्र या साधारण सदस्यता के लिए इस आधार पर अनुमोदित किया गया हो कि वह ऐसी समितियों के अथवा ऐसी समिति अथवा समितियों के वर्ष के विकास के लिए उपयोगी है।

2["(छ) कोई संगम या व्यक्तियों का निकाय चाहे वह निगमित हो या न हो।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई छात्र, जिसने उस विधि के अनुसार जिसके अध्यधीन है

वयस्कता की आयु प्राप्त न की हो, किसी ऐसी शिक्षण संस्था में, जिसका वह छात्र हो, बनायी गयी किसी सहकारी समिति की सदस्यता के लिए पात्र होकर।”

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी कोई संयुक्त स्कन्ध समवाय (joint stock company) या व्यक्ति ऐसी सहकारी समिति या समितियों अथवा समितियों के वर्ग में जो नियम किया जाये, साधाराण सदस्य नहीं बनाया जायेगा।